

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० 99/2018

दिनांक:- 14-05-2018

घाटा- 111-128 RTA

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री जगदीश चि. पठाण

जति श्री उम्र 45 नि० कटारी A तहसील डूंगरपुर ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदाजत दिनांक 14/5/18 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०रे०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा कटारी A पंचायत समिति, खोल्डा में स्थित खाता संख्या 31 पर आराजी नं० 850 कुल 9 बीघा 9 बिस्वा किता 1 योग रकबा 9 पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है। करते हैं और लडाईं झगडा करते हैं। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी पेशवा नि० कटारी A ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम खोल्डा के खसरा नं० 851 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 1 योग रकबा 9 की जमाबंदी सम्वत् 2021-77 की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का गहन अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा कटारी A में स्थित खाता संख्या 31 पर आराजी नं० 850 रकबा 9 कुल किता 1 कुल रकबा 9 की पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा कटारी A में स्थित खाता संख्या 31 पर आराजी नं० 850 रकबा 9 कुल किता 1 कुल रकबा 9 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदा, डूंगरपुर भू०अ० निरीक्षक (S.H.) के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू० 550/- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगरपुर